

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 72/2016

दायर दिनांक: 06/05/2016

उनवान

1. रामस्वरूप आयु 65 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी
2. भोजराज आयु 60 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी
3. प्रेमनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी तह० अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल आयु 70 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी
2. जगन्नाथ आयु 50 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश

दिनांक: 11/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 04.03.2020 की पालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1215 दिनांक 30.09.2020 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे उभयपक्षकारान सहमत है।

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी ग्राम व माल दिलोदहाथी की खाता संख्या 420 की ख०नं० 961 की 0.14 है०, ख०नं० 1610 की 0.59 है०, ख०नं० 1611 की 0.84 है०, ख०नं० 1615 की 0.57 है०, ख०नं० 1616 की 0.41 है०, ख०नं० 1617 की 0.46 है०, ख०नं० 1618 की 1.89 है० कुल किता 7 रकबा 4.90 है० में से प्रतिवादी क्रम 1 रामगोपाल व 2 जगन्नाथ का नाम हटाया गया शेष खातेदार वादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1. वादी क्रम 2 भोजराज पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर सा0 देह रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1610	0.30 प0	बरानी 1	2.70
1611	0.42 प0	बरानी 1	3.78
1615	0.28 उत्तर	बरानी 1	2.52
1616	0.20 उत्तर	बरानी 1	1.80
1617	0.23 उत्तर	बरानी 1	2.07
1618	0.95 दक्षिण	माल 1	11.40
961	0.07 प0	बरानी 1	0.63
<hr/>			
किता 7	2.45		24.90

2. वादी क्रम 1 रामस्वरूप पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1610	0.14 पूर्व	बरानी 1	1.26
1611	0.21 पूर्व	बरानी 1	1.89
1615	0.15 दक्षिण	बरानी 1	1.35
1616	0.11 दक्षिण	बरानी 1	0.99
1617	0.11 दक्षिण	बरानी 1	0.99
1618	0.47 उत्तर	माल 1	5.64
961	0.03 पूर्व	बरानी 1	0.27
<hr/>			
किता 7	1.22		12.39

3. वादी क्रम 3 प्रेमनारायण पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1610	0.15 मध्य	बरानी 1	1.35
1611	0.21 मध्य	बरानी 1	1.89
1615	0.14 मध्य	बरानी 1	1.26
1616	0.10 मध्य	बरानी 1	0.90
1617	0.12 मध्य	बरानी 1	0.08

1618	0.47 मध्य	माल 1	5.64
961	0.04 मध्य	बरानी 1	0.36
किता 7	1.23		12.48

नोट:— ख0नं0 980 रकबा 0.04 है0 को डिक्री में शामिल नहीं किया गया है अतः ख0नं0 980 का खाता पूर्ववर्ती मुताबिक जमाबन्दी दर्ज रहेगा।

उपरोक्तानुसार वादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 72/2016

उनवान

1. रामस्वरूप आयु 65 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी
2. भोजराज आयु 60 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी
3. प्रेमनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल आयु 70 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी
2. जगन्नाथ आयु 50 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल दिलोदहाथी की खाता संख्या 420 की ख0नं0 961 की 0.14 है0, ख0नं0 1610 की 0.59 है0, ख0नं0 1611 की 0.84 है0, ख0नं0 1615 की 0.57 है0, ख0नं0 1616 की 0.41 है0, ख0नं0 1617 की 0.46 है0, ख0नं0 1618 की 1.89 है0 कुल कित्ता 7 रकबा 4.90 है0 में से प्रतिवादी क्रम 1 रामगोपाल व 2 जगन्नाथ का नाम हटाया गया शेष खातेदार वादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1. वादी क्रम 2 भोजराज पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर सा0 देह रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1610	0.30 प0	बरानी 1	2.70
1611	0.42 प0	बरानी 1	3.78
1615	0.28 उत्तर	बारानी 1	2.52
1616	0.20 उत्तर	बरानी 1	1.80
1617	0.23 उत्तर	बरानी 1	2.07
1618	0.95 दक्षिण	माल 1	11.40
961	0.07 प0	बरानी 1	0.63
कित्ता 7	2.45		24.90

2. वादी क्रम 1 रामस्वरूप पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1610	0.14 पूर्व	बरानी 1	1.26
1611	0.21 पूर्व	बरानी 1	1.89

1615	0.15 दक्षिण	बरानी 1	1.35
1616	0.11 दक्षिण	बरानी 1	0.99
1617	0.11 दक्षिण	बरानी 1	0.99
1618	0.47 उत्तर	माल 1	5.64
961	0.03 पूर्व	बरानी 1	0.27
किता 7	1.22		12.39

3. वादी कम 3 प्रेमनारायण पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1610	0.15 मध्य	बरानी 1	1.35
1611	0.21 मध्य	बरानी 1	1.89
1615	0.14 मध्य	बरानी 1	1.26
1616	0.10 मध्य	बरानी 1	0.90
1617	0.12 मध्य	बरानी 1	0.08
1618	0.47 मध्य	माल 1	5.64
961	0.04 मध्य	बरानी 1	0.36
किता 7	1.23		12.48

नोट:— ख0नं0 980 रकबा 0.04 है0 को डिक्री में शामिल नहीं किया गया है अतः ख0नं0 980 का खाता पूर्ववर्ती मुताबिक जमाबन्दी दर्ज रहेगा। उपरोक्तानुसार वादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)